

पत्रांक -3/एम०-41/2022सा०प्र०...6591/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्द्र,
सरकार के प्रधान सचिव।

ई-मेल

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक 6-4-2023

विषय— विभिन्न सेवा/संवर्ग के सरकारी सेवकों से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में सेवा सम्पुष्टि हेतु प्रशिक्षण अनिवार्य किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सेवा/संवर्ग के सरकारी सेवकों से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में विभागीय परीक्षा, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर जाँच परीक्षा के प्रावधानों में एकरूपता लाये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-22251 दिनांक-12.12.2022 द्वारा निम्नांकित निदेश परिचरित किया गया है—

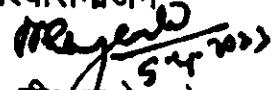
“(i) अपने नियंत्रणाधीन लिपिकीय संवर्गों अथवा लिपिकीय प्रकृति के अन्य संवर्गों की नियमावली के संगत प्रावधानों की समीक्षा की जाय और यदि उनमें कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान न हो तब तदनुसार प्रावधान करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) अपने नियंत्रणाधीन नवनियुक्त कर्मियों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए उन्मुख (Orient) किया जाय।

(iii) अपने नियंत्रणाधीन राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सेवा/संवर्ग, कार्यालय परिचारी को छोड़कर, से संबंधित नियमावली की समीक्षा कर ली जाय और यदि उनमें विभागीय परीक्षा का प्रावधान न हो तब निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नियमावली में तदनुसार प्रावधान करने हेतु संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।”

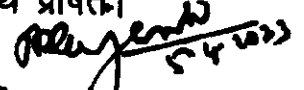
2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प झापांक-12339 दिनांक-14.11.2011 द्वारा राज्य प्रशिक्षण नीति का निरूपण किया गया है। उक्त संकल्प के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों को सेवा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है।
3. प्रशासी विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग के लिए अधिसूचित सेवा नियमावलियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रावधान किया जाता है। सामान्यतया सेवा/संवर्ग नियमावलियों में परिवीक्षाधीन कर्मियों की सेवा सम्पुष्टि हेतु प्रशिक्षण को अनिवार्य भी किया गया है। परन्तु सभी सेवा/संवर्ग नियमावलियों में एकरूपता लाये जाने हेतु सेवा सम्पुष्टि हेतु प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाना आवश्यक है।
4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग नियमावली के प्रावधानों की समीक्षा की जाय और यदि उनमें सेवा सम्पुष्टि हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता का प्रावधान न हो तब तदनुसार प्रावधान करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दिया जाय।

विश्वासभाजन


(डॉ० बी० राजेन्दर)

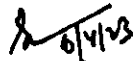
सरकार के प्रधान सचिव।

झापांक-3/एम०-41/2022सा०प्र०.....6591/पटना-15 दिनांक-6.4.23
प्रतिलिपि- महानिदेशक, बिपार्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

झापांक-3/एम०-41/2022सा०प्र०.....6591/पटना-15 दिनांक-6.4.23
प्रतिलिपि-अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-18, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके झापांक-5375 दिनांक-20.03.23 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।